अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 713 (अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की पूर्ति को विनिर्दिष्ट करती है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है और जिसकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसकी बाबत एकीकृत कर स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू, जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छिला नहीं गया है	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत की पूर्ति के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
5.	-	लाटरी की पूर्ति	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता। स्पष्टीकरण,-- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है।

स्पष्टीकरण –

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 4/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 713 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the supply of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, made by the person as specified in the corresponding entry in column (4), in respect of which the Union territory tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intra-state supply of such goods as specified in the corresponding entry in column (5) and all the provisions of the said Act shall apply to such recipient, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	Cashew nuts, not shelled or peeled	Agriculturist	Any registered person
2.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)	Agriculturist	Any registered person
3.	2401	Tobacco leaves	Agriculturist	Any registered person
4.	5004 to 5006	Silk yarn	Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn	Any registered person
5.	-	Supply of lottery.	State Government, Union Territory or any local authority	Lottery distributor or selling agent. *Explanation*.- For the purposes of this entry, lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub section 1 of section 11 of the Lotteries (Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).

Explanation.–

(1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 5/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 714 (अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, जिनकी बाबत अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदाय से भिन्न) की जावक पूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर होने के कारण संचयित किया जा चुका है, अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	5007	रेशन या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक
2.	5111 to 5113	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक
3.	5208 to 5212	कपास के व्यूतित फैब्रिक
4.	5309 to 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्यूतित फैब्रिक
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपिल फाइबर का व्यूतित फैब्रिक
7.	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
8.	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्तित है
9.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव टेंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर
10.	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 के हैं
11.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं क्रेनें, बेलास्ट टैंपर, ट्रेकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
12.	8605	रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान वैन, टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं)
13.	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं